No. 4-41/2011-SPB-II
Government of India
Ministry of Communications & IT
Department of Posts
Dak Bhawan, Sansad Marg

22 NOV 2012

New Delhi, dated the 20 November, 2012

To,

All CPMsG/PMsG

Subject: Recruitment Rules for Deputy Manager, Assistant Manager and Technical Supervisor in the Centre for Excellence in Postal Technology (CEPT).

Sir/Madam,

I am directed to refer to above mentioned subject and to say that in pursuance of Establishment Division, Department of Posts Order No. 43-52/2009-PE.II dated 12.08.2011, the Recruitment Rules for the posts of Deputy Manager, Assistant Manager and Technical Supervisor in the Centre for Excellence in Postal Technology (CEPT), Mysore have been framed and notified in the Gazette of India, Extraordinary on 9th August, 2012.

2. As per Establishment Division of Department of Posts Order No.43-52/2009-PE.II dated 18.10.2011, the appointing authorities of Deputy Manager(CEPT), Assistant Manager(CEPT) and Technical Supervisor(CEPT) are Director General (Posts), Head of Circle and Director (CEPT) Mysore respectively.

3. The duties of Deputy Manager(CEPT) are to assist/coordinate /supervise the work regarding introduction of central server-based integrated solutions in the Department of Posts. The duties of Assistant Manager(CEPT) are coordination & communication with the operative/administrative units and communication of feedback received from units as well as Technical Supervisors to the development team of the vendor. The duties of Technical Supervisor(CEPT) are to be responsible for acceptance testing and providing user requirement guidance.

4. A copy of Department of Posts [Assistant Manager (Centre for Excellence in Postal Technology) Group 'B' post], Recruitment Rules, 2012; Department of Posts [Deputy Manager (Centre for Excellence in Postal Technology) Group 'B' post], Recruitment Rules, 2012 and Department of Posts [Technical Supervisor (Centre for Excellence in Postal Technology) Group 'B' post], Recruitment Rules, 2012 are enclosed herewith for taking further necessary action.

Yours faithfully,

(Raj Kumar)
Director (Staff)

Encls: As above.

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat
2. The Secretary, Union Public Service Commission, New Delhi w.r.t letter No. 3/21A(2)/2012-RR dated 23.04.2012.
3. Ministry of Law and Justice (Legislative Department), Shastri Bhawan, New Delhi
4. Department of Personnel & Training, North Block, New Delhi
5. **PTC, Mysore** – For uploading the same on the website of India Post
6. Director, Rafi Ahmed Kidwai National Academy, CGO Complex, Ghaziabad-201002.
7. General Manager, CEPT, Mysore
8. Directors, Postal Training Centers
9. SPG/PE-I/PE-II/SR/SPB-I/Technology Sections, Dak Bhawan
10. Guard File.

(Raj Kumar)
Director (Staff)

रजिस्ट्री सं० डी० एल० 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 405] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 9, 2012/श्रावण 18, 1934
No. 405] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 9, 2012/SHRAVANA 18, 1934

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2012

सा.का.नि. 627(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग में उप-प्रबंधक (डाक प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केन्द्र) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत: :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक विभाग [उप-प्रबंधक (डाक प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केन्द्र) समूह 'ख' पद] भर्ती नियम, 2012 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान.**—पद की संख्या, इसका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा इसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों के उपाबद्ध, अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और इससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करते हुए इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	चयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु सीमा और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
उप प्रबंधक (डाक प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केन्द्र)	8* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' (राजपत्रित-अनुसचिवीय)	वेतन बैंड-2, वेतनमान 9300 -34800 रु. ग्रेड वेतन 4800 रु. सहित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति - सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना किस प्रकार की है	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने से पहले संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति केन्द्र सरकार के अंतर्गत आने वाले ऐसे अधिकारी जो:- (क) (I) अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समान पद पर कार्यरत हों; अथवा (II) मूल संवर्ग अथवा विभाग में 4600 के ग्रेड वेतन के साथ 9300-34800 रु. के वेतन बैंड-2 में अथवा समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में 2 वर्षों की सेवा कर चुके हों, या (III) मूल संवर्ग अथवा विभाग में 4200 रु. के ग्रेड वेतन के साथ 9300-34800 के वेतन बैंड-2 में अथवा समान पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में 6 वर्ष की सेवा कर चुके हों तथा (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव प्राप्त कर चुके हों (क) (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइंस में स्नातक उपाधि; अथवा (ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि तथा कम्प्यूटर साइंस में एक वर्ष का डिप्लोमा; तथा (iii) केन्द्र सरकार के कार्यालय अथवा इससे संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अथवा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति से प्रयोजन से 01.01.2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा, वह तारीख जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है, को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर समान रूप ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा सिवाए इसके कि वहां एक से अधिक पूर्वसंशोधित वेतनमानों को समान ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह लाभ उप पद (पदों) के मामले दिया जाएगा जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन्न है।	लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 4-11/2011 एसपीबी II]

राजकुमार, निदेशक (स्टाफ)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2012

G.S.R. 627(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Manager (Centre for Excellence in Postal Technology) in the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Posts, namely:-

1. Short title and Commencement.- (1) These rules may be called the Department of Posts [Deputy Manager (Centre for Excellence in Postal Technology) Group 'B' post], Recruitment Rules, 2012.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.- The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Scheduled, annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.- No person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post:
provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and education qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Deputy Manager (Centre for Excellence in Postal Technology)	8* (2012) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted Ministerial.	PB-2 Rs. 9300-34800 with grade pay Rs. 4800/-.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable	Not applicable.	By deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation Officers under the Central Government:- (A) (I) holding analogous posts on regular basis in their parent cadre or Department; or (II) with two years of service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in PB-2 of Rs.9300-34800 with grade pay of Rs. 4600/- or equivalent in the parent cadre or Department; or (III) with six years of service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in PB-2 of Rs.9300-34800 with grade pay of Rs. 4200/- or equivalent in the parent cadre or Department; and (B) possessing the following educational qualification and experience:- (a) (i) Bachelor Degree with Computer Science as a subject from a recognised University; or (ii) Bachelors Degree from a recognised University and one year diploma in Computer Science; and (b) three years experience in the field of Computer Software Development, Computer Software Testing or System Administrator in Central Government offices or their attached and subordinate offices. Note1: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note2: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application. Note3. For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 4-41/2011-SPB-II]

RAJ KUMAR, Director (Staff)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2012

सा.का.नि. 628(अ).- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डाक विभाग में सहायक प्रबंधक (डाक प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केन्द्र) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक विभाग [सहायक प्रबंधक (डाक प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केन्द्र) समूह 'ख' पद] भर्ती नियम, 2012 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान:- पद की संख्या, इसका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा इसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों के उपाबद्ध, अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि:- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और इससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं.-वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लिए स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति:- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करते हुए इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पूर्व-सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदनाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	चयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु सीमा और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
सहायक प्रबंधक (डाक प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केन्द्र)	25* (2012) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तन के अध्यधीन	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' (राजपत्रित-अनुसचिवीय)	वेतन बैंड-2, वेतनमान 9300 -34800 रु. ग्रेड वेतन 4600 रु. सहित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति - सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना किस प्रकार की है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने से पहले संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना **आवश्यक है**

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति केन्द्र सरकार के अंतर्गत आने वाले ऐसे अधिकारी जो:- (क) (I) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया है; अथवा (II) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस वेतन बैंड-2 में 4200 के ग्रेड वेतन के साथ 9300-34800 रु. के वेतनमान में पाँच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव प्राप्त कर चुके हों (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइंस में स्नातक उपाधि; अथवा (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री और कम्प्यूटर साइंस में एक वर्ष का डिप्लोमा; और (ख) केन्द्र सरकार के कार्यालयों अथवा उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर विकास, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर परीक्षण अथवा प्रणाली प्रशासक (सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर) के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति से प्रयोजन के 01.01.2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा, वह तारीख जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है, को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर समान रूप ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा सिवाए इसके कि जहां एक से अधिक पूर्वसंशोधित वेतनमानों को समान ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह लाभ उन पद (पदों) के मामले में दिया जाएगा जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन्न है।	लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 4-11/2011-एसपीबी II]

राजकुमार, निदेशक (स्टाफ)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2012

G.S.R. 628(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Manager (Centre for Excellence in Postal Technology) in the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Posts, namely:-

1. Short title and Commencement.- (1) These rules may be called the Department of Posts [Assistant Manager (Centre for Excellence in Postal Technology) Group 'B' post], Recruitment Rules, 2012.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.- The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Scheduled, annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.- No person,-
   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
   shall be eligible for appointment to the said post:
   provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.-Nothing in these Rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and education qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Assistant Manager (Centre for Excellence in Postal Technology)	25* (2012) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted Ministerial.	PB-2 Rs. 9300-34800 with grade pay Rs. 4600/-.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation Officers under the Central Government:- (A) (I) holding analogous posts on regular basis in their parent cadre or Department; or (II) with five years of service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in PB-2 of Rs.9300-34800 with grade pay of Rs. 4200/- or equivalent in the parent cadre or Department; and (B) possessing the following educational qualification and experience:- (a) (i) Bachelor Degree with Computer Science as a subject from a recognised University; or (ii) Bachelors Degree from a recognised University and one year diploma in Computer Science; and (b) two years experience in the field of Computer Software Development, Computer Software Testing or System Administrator in Central Government offices or their attached and subordinate offices. Note1: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note2: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application. Note3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 4-41/2011-SPB-II]

RAJ KUMAR, Director (Staff)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2012

सा.का.नि. 629(अ). राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डाक विभाग में तकनीकी पर्यवेक्षक (डाक प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केन्द्र) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत: -

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: - (1) इन नियमों को डाक विभाग, [तकनीकी पर्यवेक्षक (डाक प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केन्द्र) समूह 'ख' पद] भर्ती नियम, 2012 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान:- पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और इससे संबंधित वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा इसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि:- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के कालम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निर्हरताएं – वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; अथवा
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,
उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लिए लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, किसी वर्ग अथवा व्यक्तियों के प्रवर्गों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके इन नियमों के प्रावधानों को शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमो की कोई बात आरक्षणों, आयु – सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

2952 GI/12-4

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	चयन पद अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति - सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
तकनीकी पर्यवेक्षक (डाक प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केन्द्र)	20*(2012) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवाएं, समूह 'ख' अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800रु. ग्रेड वेतन 4200/- रु. सहित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना किस प्रकार की है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने से पहले संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत आने वाले ऐसे अधिकारी जो:-	लागू नहीं।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं।

(क)(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; अथवा (ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में 2800/- रु. के ग्रेड वेतन के साथ 5200-20200 रु. के वेतन बैंड-I अथवा समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में छ: वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो; अथवा (iii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में 2400/- रु. के ग्रेड वेतन के साथ 5200-20200 रु. के वेतन बैंड-I अथवा समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव प्राप्त की हो :- (क)(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइंस में स्नातक उपाधि; अथवा (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा कम्प्यूटर साइंस विषय में डिप्लोमा; और (ख) केन्द्रीय सरकार अथवा उसके साथ सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर विकास, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव। टिप्पणी 1.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 2.- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी 3.- प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के 01.01.2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा, वह तारीख जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है, को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर समानरूप ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा सिवाए इसके कि जहां एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों को समान ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह लाभ उन पद (पदों) के मामले में दिया जाएगा जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन्न है।		

[फा. सं. 4-11/2011-एसपीबी II]

राजकुमार, निदेशक (स्टाफ)

2952 GI/12-5

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2012

G.S.R. 629(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Supervisor (Centre for Excellence in Postal Technology) in the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Posts, namely:-

1. Short title and Commencement.- (1) These rules may be called the Department of Posts [Technical Supervisor (Centre for Excellence in Postal Technology) Group 'B' post], Recruitment Rules, 2012.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.- The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Scheduled, annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.- No person,-
   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
   shall be eligible for appointment to the said post:
   provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.-Nothing in these Rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and education qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Technical Supervisor (Centre for Excellence in Postal Technology)	20* (2012) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted Ministerial.	PB-2 Rs. 9300-34800 with grade pay Rs. 4200/-	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation Officers under the Central Government:- (A) (I) holding analogous posts on regular basis in their parent cadre or Department; or (II) with six years of service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in PB-1 of Rs.5200-20200 with grade pay of Rs. 2800/- or equivalent in the parent cadre or Department; or (III) with ten years of service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis PB-1 of Rs.5200-20200 with grade pay of Rs. 2400/- or equivalent in the parent cadre or Department; and (B) possessing the following educational qualification and experience:- (a) (i) Bachelor Degree with Computer Science as a subject from a recognised University; or (ii) bachelors degree from a recognised University and one year diploma in Computer Science; and (b) one year experience in the field of Computer Software Development, Computer Software Testing or System Administrator in Central Government offices or their attached and subordinate offices. Note1: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note2: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application. Note3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. 4-41/2011-SPB-II]

RAJ KUMAR, Director (Staff)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.